RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 वर्ष 05 अंक 189 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

'पूरे महाराष्ट्र में मराठों के लिए आरक्षण चाहते हैं'

कुछ क्षेत्रों में नहीं, जारांगे की दो टूक

मुंबई : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। आंदोलन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यदि राज्य सरकार मांगे पूरी नहीं करती हैं तो अनशन तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरक्षण आंदोलन का तीसरा चरण शुरू किया गया तो राज्य सरकार बैठकें नहीं कर पाएगी। जरांगे ने कहा, हम महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल के साथ बातचीत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, राज्य में सभी मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, न कि केवल विशेष क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय के सदस्यों को। हम अधूरे तरीके का आरक्षण स्वीकार नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो आंदोलन नहीं रुकेगा।

लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आरक्षण की मांग नहीं मानी गई तो पूरे देश से मराठा आंदोलन में शामिल होंगे। आंदोलनकारी आरक्षण मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। जरांगे ने कहा, सरकार को सभी जिला कलेक्टरों की एक बैठक बुलानी चाहिए। सरकार यहां आ सकती है और हमसे

बात कर सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जरांगे ने कहा, आंदोलन शांतिपूर्ण है और सही दिशा में चल रहा है। मुख्यमंत्री को उन लोगों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते। गौरतलब है उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के समर्थक सोलंके के घर पर बीड जिले के माजलगांव शहर में आरक्षण आंदोलनकारियों की भीड़ ने आग लगा दी और पथराव किया। बता दें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए आवश्यक निजाम-युग के दस्तावेजों, वंशावली, शैक्षिक और राजस्व साक्ष्य, उस अवधि के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रहा है।

धमतरी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, गजनी की तरह 5 साल भूल जाते हैं चुनावी वादे

रायपुर/धमतरी, धमतरी में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशियों ने रोड शो कर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि मैंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने गजनी फिल्म देखी होगी। हीरो को भूलने की बीमारी होती है। ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को है। देवेंद्र ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। धमतरी के गौ शाला मैदान में सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र

पहले शिंदे गुट फिर अजीत पवार के विधायकों की अयोग्यता पर आएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय सीमा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक शिवसेना और अगले साल 31 जनवरी तक एनसीपी में दलबदल की याचिकाओं पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिवसेना विधायकों और एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को अवगत कराया कि पिछली सुनवाई के अनुसार उन्होंने महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष से बात की है। एसजी मेहता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि दिवाली और

क्रिसमस की छुट्टियों के मद्देनजर अध्यक्ष 31 जनवरी, 2024 तक सुनवाई समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अदालत से जनवरी में सुनवाई सूचीबद्ध करने और प्रगति देखने का अनुरोध किया, लेकिन सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि स्पीकर 31 दिसंबर तक कार्यवाही समाप्त कर दें। लंबित दलबदल याचिकाओं पर निर्णय की मांग करने वाली एनसीपी नेता जयंत पाटिल (शरद पवार गुट) द्वारा दायर याचिका भी 30 अक्टूबर को सुनवाई के लिए शिवसेना नेता सुनील प्रभु (उद्धव ठाकरे गुट) की याचिका के साथ सूचीबद्ध की गई थी। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एनसीपी दलबदल याचिकाओं पर अगले साल 31 जनवरी तक सुनवाई पूरी करनी चाहिए। 17 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर लंबित दलबदल याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए एक यथार्थवादी कार्यक्रम प्रदान करने का अंतिम अवसर दिया था।

महाराष्ट्र पुलिस ने सट्टेबाजी मामले में बादशाह से की पूछताछ

क्या है मामला ?

नई दिल्ली: महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल ने सोमवार 30 अक्टूबर को ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप फेयरप्ले के मामले में रैपर बादशाह से पूछताछ की. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वायकॉम 18 नेटवर्क ने सट्टेबाजी ऐप पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच देखने को बढ़ावा देने के आरोप में बादशाह के साथ-साथ 40 दूसरे एक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. महाराष्ट्र साइबर पुलिस बादशाह का बयान दर्ज कर रही है. पुलिस सोमवार को कफ परेड स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग पहुंची. इस केस में डिजिटल पायरेसी का मामला दर्ज किया गया है और मामले में और एक्टर्स को तलब किए जाने की संभावना है.

रिपोर्ट के अनुसार मैचों को स्ट्रीम करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आईपीआर) था. हालांकि ये मैच फेयरप्ले पर गैर कानूनी तरीके

से स्ट्रीम किए गए. कुछ एक्टर्स ने फेयरप्ले ऐप पर आईपीएल को प्रमोट किया. इस सिलसिले में संजय दत्त, रणबीर कपूर, हुमा कुरेशी, कपिल शर्मा और श्रद्धा कपूर समेत कई मशहूर सेलेब्स को तलब किया गया था. इस महीने की शुरूआत में, एक सूत्र के हवाले से कहा था ''रणबीर कपूर को सट्टेबाजी के कारोबार के लेन-देन को समझने के लिए बुलाया गया है. फिलहाल उन्हें आरोपी के रूप में नहीं बुलाया गया है.

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

पानी में कितनी दरारें

हिमाचल सरकार की शिकायत पर ह्यपानी में दरारह्न ढूंढने आया केंद्रीय दल। भारी बरसात में इस बार बड़े-बड़े बांधों ने अपनी करतूत को इस कद्र घातक बनाया कि जख्म लिए हिमाचल की तस्वीर बता रही हुए हैं गुनाह कैसे-कैसे। पौंग व पंडोह डैम के अलावा मलाणा-2 तथा पार्वती-3 विद्युत परियोजना के बांधों में बरती गई कोताही ने परेशानियां ही नहीं बढ़ाई, बल्कि हिमाचल में आई आपदा को विकरालता का सबब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैरानी यह कि केवल दो परियोजनाओं कोल बांध व नाथपा झाकड़ी परियोजना में ही अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया था, जबकि अन्य स्थानों पर ऐसे निर्देश का पालन नहीं हुआ। बांध सुरक्षा में अपनाई गई लापरवाही ने सैंज बाजार को ही निगल लिया, जबकि पौंग बांध से बिना तैयारी छोड़े गए पानी ने मंड क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। मंडी शहर के डूबते मंदिरों तक आ पहुंचा नदी का उफान बताता रहा कि पंडोह बांध ने कब-कब गुस्ताखी की। ये तमाम परियोजनाएं हिमाचल के सामाजिक परिदृश्य के खिलाफ खड़ी हैं और जनता चौकीदार के रूप में यह रखवाली करती है कि कहीं बांध का गुस्सा न फूट पड़े। दरअसल बांध हिमाचल के पानी को पूरी क्षमता से खींचने की पद्धति में निशानदेही करते रहे हैं। उनके लक्ष्य हिमाचली जिंदगी के विपरीत पानी की सरहद बनाते हैं। ये हमारी मजबूरियां क्यों बन गई कि आपदा के हिस्से का सारा पानी हिमाचल का, बाढ़ प्रदेश की और काम अन्य राज्यों का। सुकून की जिंदगी छीन चुके बांध, अब नमक हलाली में उस फर्ज की शिनाख्त हैं, जो हिमाचल को बेडियां पहना कर मजाक उड़ा रहा है। बीबीएमबी एक जीता जागता उदाहरण है जो प्रदेश के अधिकारों की तौहीन करता है। वाटर सेस की झलक मात्र से बीबीएमबी के पार्टनर राज्यों का रवैया बताता है कि पानी को बांधने वाले सिर्फ यही चाहते हैं कि हिमाचल बंधक बना रहे। यह कैसा नियम और कैसा राष्ट्रीय फलक, जो बांधों को निचोडचे के बावजूद यह नहीं देखता कि राष्ट्र निर्माण की ये ईंटे अपने बगल में छुरी छुपा के कहीं वार कर रही हैं। इस बार की प्राकृतिक त्रासदी ने हिमाचल को बता दिया कि विकास का शैतान कहां-कहां छुपा था। वह बादल बन कर आया जरूर, मगर बांध और विद्युत परियोजनाओं उसे बांधने के बजाय तबाही के लिए खुला छोड़ दिया। वे बांध को लबालब करने के बाद बरसाती हवाओं का रुख मोड़ते हैं, वे धुरंधर है इसलिए पानी खींच कर बाढ़ हमें छोड़ते हैं। यही नहीं इस बार तो पानी-पानी में बैर उभर आया। हिमाचल का पानी हिमाचल में 13 हजार करोड़ की बबार्दी करता है, तो यह राष्ट्रीय क्षति नहीं, लेकिन यही बहते हुए जब पड़ोसी राज्यों में पहुंचता है तो दर्द का एहसास बदल जाता है। मौसम पर तो किसी का वश नहीं, लेकिन पानी के रुख पर राष्ट्र के जज्बात बहकने नहीं चाहिएं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

ऑपरेशन मुक्त भिवंडी संस्था द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का आयोजन...

371 मरीजों को किए गये जांच

मुस्तकीम खान

भिवंडी: ऑपरेशन मुक्ता भिवंडी के अध्यक्ष डॉ. शफीक अहमद सिद्दीकी के तत्वावधान में आज भिवंडी के रावजी नगर स्थित स्वामी विकानंद हाई स्कूल में मेघा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में, ठाणे के ज्यूपिटर अस्पताल की एक टीम ने दिल में छेद वाले बच्चों की जांच की, भिवंडी के सिराज मेमोरियल अस्पताल की एक टीम ने प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता वाले लोगों की जांच की, मातु श्री गंगूबाई शिंदे अस्पताल, ठाणे की एक टीम और धर्मवीर आनंद दीघे अस्पताल की टीम ने हृदय और सामान्य रोगों विशेषकर अपेंडिक्स, हर्निया हाइड्रोसील, पित्त पथरी, गर्भाशय के ऑपरेशन आदि की जाँच की।

डॉ. शफीक सिद्दीकी ने बताया कि यह एक प्रकार का विशेष शिविर है जिसमें बड़ी बीमारियों के मरीजों को विशेष सुविधा दी जाती है, आने वाले दिनों में इस शिविर में जांच किए गए जरूरतमंद लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। यह 11वां शिविर था। उनकी संस्था जिसका कई दिनों से शहर में प्रचार-प्रसार किया जा रहा था ताकि इन प्रमुख बीमारियों से पीड़ित लोगों को इसका भरपूर लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से स्वामी विकानंद स्कूल के प्रिंसिपल पॉल सर और गुप्ता सर का स्टाफ. अब्दुल गनी खान ,एडवोकेट अब्दुल बाकी अंसारी. मुजाहिद शेख,दीपक सिंह,सगीर शेख,संजय शर्मा,आमिर शेख,तबरेज शेख,शशि गुप्ता,डा,कलीम,सद्दाम मिर्जा,व स्थानीय डॉक्टरों में गणेश अहिरे, बिलाल पठान, निशा पठान, रमीज खान, शाह आलम, शबीना मस्तो, शकीला तहसीन खान के साथ अंसारी, गुलशन अंसारी आदि ने सहयोग किया। शिविर सुबह दस बजे शुरू हुआ और दोपहर करीब चार बजे समाप्त हुआ. इस शिविर से 371मरीजों ने लाभ उठाया जिसमे 341 मरीजों को अपरेशन की जरूरत है, चर्म रोग (त्वचा) [25]आथोर्पेडिक [85] स्त्री रोग विशेषज्ञ [15] पाइल्स [10]पित्त पथरी [13] हर्निया [15]चिकित्सा रोगी [75]

8, मूत्रविज्ञान (गुर्दे की पथरी, मूत्राशय की पथरी][14] दांत चिकित्सा [18]परिशिष्ट [1] प्लास्टिक सर्जरी [4]मौखिक जांच [8]कैडिलैक पीटी [19]

बाल चिकित्सा हृदय दोष [5] डीएम (मधुमेह घाव [8] हाइड्रोसील [2]हिस्टेरेक्टोमी [3]

बाल चिकित्सा हर्निया [1] एंजियोग्राफी [3]कार्डिएक पीटी [16]वैरिकाज वेन [1] जांच पीटी (30) टोटल 21किस्म की बिमारियों का अपरेशन संस्था के मार्गदर्शन में होगा।

मुंबई अधक्ष्य वर्षा गायकवाड के नेतृत मे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुंबई में बेरोजगारी और बीजेपी के खिलाफ जनसभाएं

चीता कैंप मे दक्षिण मध्य मुंबई जिलाधक्ष्य शब्बीर खान ने किया कन्हैया कुमार का भव्य स्वागत

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) समाज मे नफरत की बजाये मोहब्बत बांटने निकले देशवासीयो मे कन्हैया कुमार की रैली आज मुंबई के विभिन्न हिस्सों मे होते हुए चेंबूर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को माल्या अर्पण कर कांग्रेस पार्टी के एन एस यू आई राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार का काफिला मुंबई कांग्रेस पार्टी अधक्ष्य वर्षा गायकवाड के मार्गदर्शन मे सीधा चीता कैंप ट्रॉम्बे के लिए रवाना हुआ। वहां पर दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अधक्ष्य शब्बीर खान ने ट्रॉम्बे पब्लिक स्कूल मे एक रक्तदान शिविर का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। जिसका मुंबई कांग्रेस पार्टी की अधक्ष्य वर्षा गायकवाड ने खुले कंठ से प्रशंसा किया। उल्लेखनीय तौर पर राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार ने कहा की विरोधी सत्ताधारी पार्टी मोदी सरकार को जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गाँधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान के सहयोग से कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत सद भावना यात्रा के जरिये देशभर मे केंद्र की मोदी सरकार द्वारा फैलाई जा रही नफरत को मोहब्बत की दुकान के जरिये देशवासियों के बीच उपजी खाई को पाटने का कार्य किया है ।

वहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर शब्बीर खान ने कहा की मुस्लिम समाज का हक कोई छीन नहीं सकता आज नहीं तो कल मुस्लिम समाज अपना पांच प्रतिशत हक जरूर लेगा शिक्षा आरक्षण सुरक्षा को लेकर बस मुस्लिम समाज के लोगो को परेशान करना बंद कर दे बीजेपी सरकार। उपरोक्त अवसर पर मुंबई कांग्रेस महासचिव वसीम जावेद ने विशेषतौर पर पार्टी कार्य कर्ताओ के साथ मौजूद रहकर रैली को कामयाब बनाने मे अहम योगदान दिया । दूसरी ओर इशान्या मुंबई कांग्रेस पार्टी जिला अधक्षय रॉय मानी,मुंबई कांग्रेस पार्टी स्वय रोजगार विभाग के मुंबई महासचिव डॉ. सत्तार खान, मुंबई कांग्रेस स्वय रोजगार विभाग इशान्या मुंबई जिला कार्य अधक्षय अहमद खान, मुंबई कांग्रेस स्वय रोजगार सेल अधक्षय हाजी खलील नवाब खान,इशान्या मुंबई स्लम सेल जिलाधक्ष वसंत कुंभार सहित बड़ी संख्या मे पार्टी कार्य कर्ता उपस्थित थे।

2002 में 14 साल की लड़की पर फेंका था एसिड, 21 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एसिड अटैक पीड़िता को 21 साल बाद न्याय मिला है. अलीगढ़ में 14 वर्षीय युवती के ऊपर साल 2002 में एसिड अटैक किया गया था. तब पुलिस ने इस मामले में केस तक दर्ज नहीं किया था. काफी लंबे समय से पीड़ित युवती परिवारजनों के दबाव के कारण चुप थी. साल 2014 में युवती की आगरा के एक कैफे में नौकरी लग गई. जहां एसिड अटैक युवतियों को प्राथमिकता दी जाती थी. इसी दौरान वहां पर आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण कैफे के अंदर पहुंचे. जहां उन्होंने एसिड अटैक युवतियों से बातचीत की. अलीगढ़ की रहने वाली एसिड अटैक युवती ने अपनी दास्तान एडीजी राजीव कृष्ण को बताई. इसके बाद एडीजी राजीव कृष्ण ने आगरा में मुकदमा दर्ज कराया. जनवरी 2023 में एसिड अटैक युवती का मुकदमा अलीगढ़ के थाना रोरावर में ट्रांसफर किया गया.

टैंकर माफियाओं की गुंडागर्दी

मनपा की लापरवाही से दूषित पानी पीने को मजबूर लोग

विरार : टैंकर माफियाओं से मिलीभगत कर उनके इसारे पर वसई विरार मनपा की जलापूर्ति विभाग काम कर रही है। जिसके चलते आम नागरिकों के ऊपर दोहरी आर्थिक बोझ पड़ रही है। मनपा को वॉटर टैक्स देने के बावजूद नागरिकों को झेलनी पड़ रही टैंकर माफियाओ की मनमानी। वसई विरार मनपा में अधिकारियों की मनमानी से केंद्र सरकार का हर घर नल, हर घर जल योजनादम तोड़ रहा है। यह आरोप नागरिकों द्वारा वसई विरार मनपा के जलापूर्ति विभाग पर लगाया जा रहा है।

टैंकर वाले कर रहे मनमानी

नागरिकों का कहना है कि सूर्या योजना के लिए करोड़ों खर्च के बावजूद मनपा अधिकारीयों की मनमानी के कारण नागरिकों को टैंकर से पानी महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा हैं। पानी की किल्ल्त का लाभ उठाते हुए टैंकर पानी माफिया द्वारा पानी के लिए मनमानी वसूली की जा रही हैं। टैंकर से मिलने वाली पानी के मूल्यों में भी हुई 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। इसके बावजूद नागरिकों को दूषित पानी वितरित किये जा रहे हैं। जिसके इस्तेमाल से नागरिकों को अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हैं। लेकिन मनपा अधिकारी इन पानी माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। नागरिकों का कहना हैं कि वर्तमान में हालात ऐसे हैं तो फरवरी और मार्च में तो हालात बद से बदतर हो जायेंगे। यदि मनपा ने नागरिकों के जल संकट का हल नहीं निकाला तो नागरिक सड़कों पर उतर कर आंदोलन को बाध्य होंगे।

वसई विरार शहर कांग्रेस जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश चौबे ने कहा महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को राज्य के नागरिकों की चिंता नहीं हैं। शिंदे सरकार के अधिकारी मनमाना कारभार चला रहे हैं। वसई विरार की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। जिसका फायदा उठाते हुए टैंकर पानी माफिया नागरिकों से मनमानी पैसों की वसूली कर रहे हैं। लेकिन मनपा अधिकारी मुक दर्शक बने बैठे हैं। करोड़ों खर्च कर बनी सूर्या जलापूर्ति योजना का काम पूर्ण हो चुका हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास उद्घाटन करने का वक्त नहीं है।

फोन नहीं उठाते मनपा के अधिकारी

बतादें कि इसी मामले को लेकर बीते सप्ताह भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शर्मिला राजठाकरे के नेतृत्व में महामोर्चा निकाल कर मनपा के खिलाफ आंदोलन कर एक सप्ताह के अंदर जल संकट को दूर करने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि हल नहीं निकला तो हम खुद मनपा का नल काट देंगे। इस बाबत मनपा जलापूर्ति विभाग क उपायुक्त तानाजी नरले से बात करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

महाराष्ट्र में बेकाबू होता मराठा आरक्षण आंदोलन

अजित पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके का घर फूंका

मुंबईः महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मुद्दा अब काफी गरमा गया है। बीड जिले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुट के मौजूदा एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर आंदोलनकारियों ने पथराव किया। इसके अलावा सोलंके के घर के बाहर खड़ी कार में भी आग लगा दी गई। हालांकि विधायक सोलंकी और उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दरअसल विधायक का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद भीड़ ने माजलगांव स्थित सोलंके के आवास पर खड़ी एक कार को भी आग लगा दी। इस ऑडियो क्लिप में उन्होंने कथित तौर पर मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में टिप्पणी की थी और भूख हड़ताल कर रहे आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पर सीधे तौर पर नशाना साधा था।

क्यों हुआ विधायक के घर हमला ?

प्रकाश सोलंके उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट से हैं। यह साफ नहीं है कि सुबह करीब 11 बजे हुई घटना के समय विधायक आवास में मौजूद थे या नहीं। एक अधिकारी ने बताया कि मराठा आरक्षण मुद्दे के बारे में विधायक सोलंके की एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद यह घटना हुई। स्थानीय स्तर पर बंद का आ''ान किया गया था। विधायक के घर और एक कार को कुछ लोगों ने आग लगा दी और पथराव भी किया गया। ऑडियो क्लिप में सोलंके को कथित तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है कि यह मुद्दा (मराठा आरक्षण की मांग और सरकार को इसके लिए 24 अक्टूबर तक 40 दिनों का अल्टीमेटम) बच्चों का खेल बन गया है। उन्होंने जरांगे पर सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह व्यक्ति, जिसने ग्राम पंचायत तक का चुनाव नहीं लड़ा है, आज एक चतुर व्यक्ति बन गया है। वहीं, सोलंके ने एक समाचार चैनल से कहा कि घटना के समय वह माजलगांव में थे।

मराठा समुदाय के सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन ने तब जोर पकड़ लिया, जब सामाजिक कार्यकर्ता जरांगे प्रदर्शन के दूसरे चरण के तहत जालना में अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। उनकी अपील पर कई ग्रामीणों ने गांव में राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।

17 सरकारी अफसरों पर लोकायुक्त अधिकारियों की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति मामले में 70 ठिकानों पर की छापेमारी

बेंगलुरु : कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों ने सोमवार को 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी 17 सरकारी अधिकारियों ठिकानों पर कार्रवाई की है। लोकायुक्त सूत्रों ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी, सोना, अचल संपत्ति, लग्जरी वाहन, जमीन में निवेश, स्टॉक और महंगे गैजेट्स का पता चला है। लोकायुक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की कई टीमों ने क्षेत्राधिकार पुलिस की सहायता से सुबह-सुबह छापेमारी की। पुलिस महानिरीक्षक (लोकायुक्त) डॉ. ए सुब्रमण्यम हवारा ने बताया, 'हमने पूरे कर्नाटक में लोक सेवकों के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए हैं। ये छापेमारी 70 स्थानों पर चल रही है।'

मामूली विवाद में दोस्त की हत्या !

इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु

मुंबई : पिछले हफ्ते अंधेरी में दो दोस्तों के बीच हुई छोटी सी लड़ाई के बाद उनमें से एक ने दूसरे पर बीयर की टूटी बोतल से हमला कर दिया। घायल दोस्त की पांच दिन अस्पताल में इलाज के बाद जान चली गई, जिसके बाद जुहू पुलिस ने शनिवार को हमलावर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, घटना 20 अक्टूबर को हुई जब मृतक नागेश दुधकवारे, एक दिहाड़ी मजदूरी के बाद रात 9 बजे के आसपास अपने कुछ सहकर्मियों के साथ जुहू बस डिपो के पास फुटपाथ के किनारे बैठा था। आरोपी कुलदीप प्रजापति पीछे से आया और दूधकवारे के सिर पर वार कर दिया। मृतक के भाई प्रवीण दुधकवारे द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि दो लोगों के बीच बहस हुई, जिससे क्रोधित होकर, प्रजापति ने सड़क से एक टूटी हुई बीयर की बोतल ली और मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही नागेश को बहुत अधिक रक्तस्राव होने लगा, अन्य दोस्त उसे कूपर अस्पताल ले गए जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया।

नागेश के सिर, चेहरे और सीने पर लगी चोटों के कारण शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने प्रजापति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और उससे संबंधित दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जुहू पुलिस ने उस आरोपी को ढूंढ लिया जिसने शिकायत दर्ज होने के एक दिन के भीतर काम पर जाना बंद कर दिया था। उसे शनिवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

ठाणे जिले के भिवंडी रहनल गांव में एक रासायनिक गोदाम में भभकी भीषण आग

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्य से आगजनी की घटना सामने आई है कि, यहां ठाणे जिले के भिवंडी रहनल गांव में एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि, महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी रहनल गांव में एक रासायनिक गोदाम में आग लग गई है। गोदाम में लगी आग बहुत ही विकराल रूप से लगी है। दूर से ही आग की बड़ी-बड़ी लपटों के साथ काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस दौरान गोदाम में भीषण आग भभके जाने के बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। आग के बारे में जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर रवाना हुई है।

इस दौरान महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी रहनल गांव में रासायनिक गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

नाइजीरियन ने रिटायर्ड सेना के जवान से ठगे साढ़े 8 लाख,

कैसे किया जालसाज ने ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड, डिटेल में समझें...

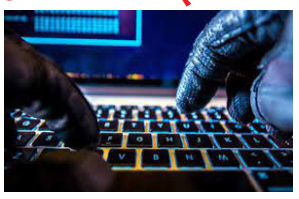

पुणे : पुणे शहर की पुलिस ने एक रिटायर्ड भारतीय सेना के जवान को 2009 में ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड में धोखा देने के बाद मुंबई से एक नाइजीरियाई को उसके भारतीय सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों को 2011 में पुणे की खड़की अदालत ने दोषी ठहराया था। जांच अधिकारी और सरकारी वादी के अनुसार, यह यकीनन पुणे में पहला साइबर अपराध मामला था, जिसमें ऑनलाइन लॉटरी घोटाले के आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पुणे के खड़की इलाके में रहने वाले पूर्व सेना कर्मी आर एस मौर्य को 2009 के शुरूआती महीनों में एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया कि उन्होंने 8.5 लाख डॉलर की लॉटरी जीती है। जैसे ही मौर्य ने इस ईमेल का जवाब दिया, उस व्यक्ति ने उनके साथ एक बैंक खाते की जानकारी साझा की। उस व्यक्ति ने मौर्य को अपनी लॉटरी राशि प्राप्त करने के लिए इस बैंक खाते में कूरियर शुल्क के रूप में 40,000 रुपये जमा करने के लिए कहा। इसके बाद मौर्य को एक और ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें उनसे लॉटरी का पैसा पाने के लिए ब्रिटिश अंतदेर्शीय राजस्व के रूप में 2.87 लाख रुपये और सीमा शुल्क के रूप में 1.4 लाख रुपये जमा करने को कहा गया। मौर्य द्वारा पैसे ट्रांसफर करने के बाद, उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनकी लॉटरी राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में जमा कर दी गई है। मौर्य को एक बार फिर आरबीआई से लॉटरी का पैसा चुकाने के लिए 3.57 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। हालांकि, मौर्य ने आरबीआई से दोबारा जांच की तो पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और लॉटरी के संबंध में उन्हें जो ईमेल मिले थे, वे फ्रॉड थे।

कारोबारी से 26.87 लाख रुपये की धोखाधड़ी, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

नवी मुंबईः महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के एक व्यापारी द्वारा गुजरात के राजकोट के एक मसाला व्यापारी से 26.87 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपी कारोबारी ने व्यापारी को मसालों का ऑर्डर दिया और इसके लिए 15 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया। व्यापारी ने ऑर्डर के तहत मसाले भिजवाए, जिसे शनिवार को नवी मुंबई में एक शीत भंडारण इकाई में पहुंचाया गया। पनवेल पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी कारोबारी और दो अन्य व्यक्तियों ने मसाले पहुंचाने वाले ट्रक के मालिक की कथित तौर पर पिटाई की और शीत भंडारण प्रबंधक ने मसाला व्यापारी को फोन किया तथा उसे धमकी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने मसाला व्यापारी को 26,87,475 रुपये की शेष राशि का भुगतान करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया और उसे धमकी भी दी।

अधिकारी ने बताया कि गुजरात के व्यापारी ने रविवार को पुलिस से संपर्क किया जिसके बाद मसाले खरीदने वाले कारोबारी, शीत भंडारण प्रबंधक और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409 (आपराधिक विश्वासघात), 347 (संपत्ति की जबरन वसूली करने या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने आदि के उद्देश्य से गलत तरीके से रोकना) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।

विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक करें फैसला...

सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं पर 31 दिसंबर या उससे पहले फैसला करें, जिनमें दोनों ने एक-दूसरे के विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी नहीं होने देनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से अजित पवार गुट के नौ विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के अनुरोध वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की याचिका पर भी 31 जनवरी 2024 तक फैसला लेने को कहा।

अदालत ने कहा, ''हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 10वीं अनुसूची की पवित्रता कायम रखी जानी चाहिये। संविधान की 10वीं अनुसूची लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दलबदल करने से रोकने से संबंधित है। इसमें दलबदल के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। पीठ ने कहा, ''प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसले में देरी नहीं होने देनी चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि 31 दिसंबर, 2023 तक सुनवाई पूरी कर उपयुक्त निर्देश पारित किए जाएं।

इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुनवाई की शुरूआत में पीठ ने तब नाराजगी जाहिर की, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उसे सूचित किया कि विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 29 फरवरी 2024 तक का समय चाहिए। मेहता ने दलील दी कि दिवाली की छुट्टियों और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कारण 31 जनवरी से पहले फैसले की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया, ''मामले को जनवरी के लिए सूचीबद्ध करें और इसमें प्रगति देखें।इस पर पीठ ने कहा, ''सॉलिसिटर महोदय, हम नहीं चाहते कि चुनाव की घोषणा होने तक ये कार्यवाही लटकती रहे।जवाब में मेहता ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों और विधानसभा सत्र को छोड़कर याचिकाओं पर निर्णय लेने में कठिनाई की कोई वजह नहीं है। वहीं, अजित पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने राकांपा की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिकाएं इस साल जुलाई और सितंबर में दायर की गई थीं। शरद पवार गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस स्तर पर नौ राकांपा विधायकों के खिलाफ जुलाई में दायर याचिकाओं पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने अपने आदेश में कहा, ''हमें उचित समय देना होगा। हमने विधानसभा अध्यक्ष को समूह ए (शिवसेना) पर फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक और राकांपा मामले में निर्णय लेने के लिए 31 जनवरी 2024 तक का समय दिया है।

शीर्ष अदालत ने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके वफादार विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की थी। न्यायालय ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष शीर्ष अदालत के आदेशों को विफल नहीं कर सकते हैं।

आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता : योगी

मिजार्पुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबू उपरौध इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित ह्यनारी शक्ति वंदन कार्यक्रम' को संबोधित करते हुए कहा,''प्रधानमंत्री का संकल्प है कि आधी आबादी को पूरा सम्मान हर हाल में मिलना ही चाहिए। उनके संकल्प को प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से पूरा कर रही है।'' जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अपने संबोधन में आदित्यनाथ ने कहा, ''आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता।'' उन्होंने कहा, ''इसे नये भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने ह्यबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरूआत की। आजादी के 70 साल बाद पहली बार देश में लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडा की मुख्य हिस्सा हैं।''

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 202 करोड़ रुपये की 660 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई संसद बनने के उपरांत पहले ही सत्र में देश की आधी आबादी की वर्षों की मांग को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारे मन में हमेशा बना रहे इसी के लिए मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। पहले मां विंध्यवासिनी के धाम में एक साल में जितने श्रद्धालु आते थे, आज केवल नवरात्रि के अवसर पर उससे अधिक श्रद्धालु यहां आ रहे हैं।''

मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार ने तय किया है कि मिजार्पुर और सोनभद्र के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास देने का कार्य होगा।'' उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय के लिए जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करके प्रस्ताव भेजें ताकि अधिनियम बनाकर उसका शीघ्रातिशीघ्र यहां शिलान्यास किया जा सके।

महाराष्ट्र से गांजा लाकर शहर में खपाने ग्राहक तलाश रहा युवक गिरफ्तार...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र से गांजा लाकर शहर में खपाने के लिए ग्राहक तलाश रहे युवक को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित युवक के कब्जे से 10 किलो गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय के आदेश पर युवक को जेल दाखिल कराया गया है। तोरवा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक आरपीएफ कालोनी में पानी टंकी के पास गांजा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर तोरवा थाना प्रभारी कमला पुसाम ने जवानों को कार्रवाई के निर्देश दिए। तोरवा पुलिस ने मुखबिर के बताए जगह पर पहुंचकर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित संजय गांधी नगर निवासी विजय मुकुंद वाहने(39) को पकड़ लिया।

पालघर में पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश के आरोप में दो गिरफ्तार

पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में धोखाधड़ी के एक मामले में आरापी और उसके चालक को एक महिला पुलिस अधिकारी एवं उसके सहायक की कार से कुचलकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नायगांव थाने के वरिष्ठ निरीक्षक रमेश भामे ने बताया कि घटना शनिवार को उस समय हुई जब महिला सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) के नेतृत्व में एक टीम अचोले थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में एक आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने नायगांव इलाके में आरोपियों को एक कार में देखा। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को देखकर आरोपी ने कथित तौर पर अपने चालक को पुलिस पर वाहन चढ़ाने का निर्देश दिया। जैसे ही चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया तो कार एक आवासीय सोसाइटी के परिसर के गेट से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी मामले के आरोपी और उसके चालक को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में एपीआई और उनका एक सहायक घायल हो गया। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 307 (हत्या का प्रयास), 353 (एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 332 शामिल हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com